निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 871) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई, 2026

सं० वि०स०वि०-30/2026-**3365**/वि०स०।— ''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

पूनम सिन्हा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-25/2026]

प्रस्तावना ।— बिहार राज्य उत्पादक गतिविधि के लिए स्थान बढ़ाकर, व्यापक आधार वाले रोजगार सृजन को सक्षम बनाकर, और यह सुनिश्चित करके कि आर्थिक विकास सभी व्यक्तियों के लिए बेहतर जीवन स्तर और गरिमा में परिवर्तित हो, वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनने की आकांक्षा रखता है;

और चूंकि बिहार राज्य यह प्रतिपादित करता है कि मानव गरिमा तब आगे बढ़ती है जब व्यक्ति अपने कौशल, श्रम, पूंजी और कल्पनाशीलता को वैध उद्यम में लगाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब कार्य, व्यापार और उद्यमिता को प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान के योग्य साधारण गतिविधियों के रूप में माना जाता है;

और चूंकि एक समृद्ध और न्यायसंगत समाज उद्यम के दैनंदिन सद्गुणों, जैसे पहल, उत्तरदायित्व, विश्वास, नवाचार और ईमानदार जोखिम–उठाव, पर निर्मित होता है, जो रोजगार उत्पन्न करते हैं, अवसर का विस्तार करते हैं, आय बढ़ाते हैं और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखते हैं;

और चूंकि टालने योग्य नियामक अवरोध, जो अत्यधिक दस्तावेजीकरण, दोहरे अनुमोदनों, विवेकाधीन विलंबों और अनिश्चित प्रक्रियाओं के रूप में प्रकट होता है, उद्यम पर वास्तविक लागत आरोपित करता है, रोजगार को हतोत्साहित करता है, और सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करता है;

और चूंकि सुशासन की अपेक्षा है कि नियामक शक्ति का प्रयोग पारदर्शी, पूर्वानुमेय, समयबद्ध और उत्तरदायी हो, तथा वैध गतिविधि पर प्रतिबंध युक्तियुक्त, आवश्यक और वैध सार्वजनिक प्रयोजनों के अनुपात में हों;

अतः अब, अनुज्ञप्ति–आधारित नियंत्रण को नियम–आधारित शासन से प्रतिस्थापित करने के लिए यह प्रतिपादित करते हुए कि वैध उद्यम और वृत्ति (occupation) डिफॉल्ट रूप से अनुज्ञात हैं; ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित करते समय औचित्य सिद्ध करने का भार राज्य पर डालते हुए; और यह अपेक्षित करते हुए कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग पारदर्शी, समयबद्ध और उत्तरदायी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाए, यह अधिनियम अधिनियमित किया जाता है।

इस प्रकार यह अधिनियम विनियमन को अनिश्चितता के स्रोत से विश्वास के ढांचे में रूपांतरित करने, नागरिकों और उद्यमों को विश्वास के साथ योजना बनाने, निवेश करने और कार्य करने में सक्षम बनाने, तथा बिहार राज्य में रोजगार सृजित करने, निवेश आकर्षित करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने वाले तरीके से व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) और जीवन सुगमता (Ease of Living) को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान–मंडल द्वारा यह इस प्रकार अधिनियमित किया जाए : –

अध्याय I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(i) यह अधिनियम ''**बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026**'' कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राज्य सरकार के राजपत्र (Official Gazette) में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(iv) इस अधिनियम के प्रारंभ पर, इसके साथ उपाबद्ध अनुसूचियां इस अधिनियम के भाग के रूप में प्रभावी होंगी और विधि के बल से प्रवर्तनीय होंगी, सिवाय जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित हो।

2. परिभाषाएँ ।– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क. **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026

ख. **'अनुमोदन (Approval)'** से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है कोई भी अनुमोदन, अनापत्ति, सहमति, समवर्ती सहमति (concurrence), अनापत्ति प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण, परमिट, अनुज्ञप्ति, मंजूरी, प्राधिकार, प्रमाणीकरण, पृष्ठांकन (endorsement), छूट,

शिथिलीकरण, अध्यर्पण (waiver), या कोई अन्य समरूप लिखत, चाहे वह अनंतिम, अंतिम, शर्तयुक्त, नियम्य (deemed), अभिव्यक्त, या विवक्षित हो, जो राज्य में विधि के बल वाले किसी अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश, अधिसूचना, नीति, या निदेश के अधीन अपेक्षित हो।

ग. **'भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र (Certificateof In-Principle Approval)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट अनुमोदन;

घ. **'भूमि उपयोग में परिवर्तन (नियम्य)'** से अभिप्रेत है कि जब किसी उद्यम के प्रस्ताव को जिला सशक्त समिति द्वारा भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, तो कृषि से गैर–कृषि प्रयोजनों में भूमि उपयोग का परिवर्तन ऐसे प्रमाणपत्र के अनुदान की तारीख से हुआ नियम्य (deemed) होगा, बशर्ते कि ऐसी फीस का संदाय किया जाए जो विहित की जाए;

ङ. **''सामान्य आवेदन प्रपत्र (CommonApplicationForm–CAF)''** से अभिप्रेत है ऐसा कोई प्रपत्र जो विहित किया जाए;

च. **'सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority)'** से अभिप्रेत हैं अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित प्राधिकारी, और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकारी भी आते हैं जो समय–समय पर किसी प्रवृत्त अधिनियम के अधीन आदेशों, नियमों या अधिसूचनाओं द्वारा जोड़े जाएं;

छ. **'सतत रूप से प्रचालनरत एवं क्रियाशील (Continuously Operational and Functional)'** से अभिप्रेत है जैसा कार्यपालक समिति द्वारा, EoDB परिषद के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, विहित किया जाए।

ज. **'आशय की घोषणा (Declaration of Intent)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए किसी उद्यम द्वारा धारा 19 के अधीन संगत सूचना का प्रस्तुतीकरण;

झ. **'नियम्य अनुमोदन (Deemed Approval)'** से अभिप्रेत है ऐसा अनुमोदन जो इस अधिनियम में इस रूप में विनिर्दिष्ट है, विशिष्ट उपबंधों के अधीन अनुमोदनों के अनुदान के लिए नियत अवधियों की समाप्ति पर दिया गया समझा जाएगा; नियम्य अनुमोदन सभी प्रयोजनों के लिए किसी उद्यम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन का भार वहन करेगा,

परंतु यह कि इस अधिनियम के अधीन नियम्य अनुमोदन पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, आर्द्रभूमि, प्रदूषण नियंत्रण, संकटपूर्ण पदार्थों, अग्नि सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य या श्रम कल्याण से संबंधित किसी विधि के अधीन किसी अनुमोदन, अनापत्ति या सहमति पर लागू नहीं होगा, जब तक कि संबंधित विधि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंध न करे; परंतु यह और कि सक्षम प्राधिकारी पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, लिखित रूप में, अपना विनिश्चय संसूचित करेगा या कोई अतिरिक्त सूचना मांगेगा, ऐसा न करने पर मामला ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, विनिश्चय के लिए स्वतः अगले उच्चतर प्राधिकारी को उन्नत (escalate) हो जाएगा;

ञ. **'विकास नियंत्रण विनियम (Development Control Regulations - DCRs)' या ''DCR''** से अभिप्रेत हैं लागू मास्टर प्लान, विकास योजना, बिहार शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 2012 तथा बिहार भवन उपविधियों के अधीन भूमि उपयोग, भवन नियंत्रण, ऊंचाई, भू–आच्छादन (ground coverage), FAR, सेटबैक, पार्किंग, खुले स्थान तथा अन्य संबद्ध नियोजन नियंत्रणों से संबंधित विनियमय

ट. **'जिला सशक्त समिति (District Empowered Committee–DEC)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित समिति;

ठ. **'पात्र उद्यम (Eligible Enterprise)'** से अभिप्रेत है कोई नया उद्यम या विस्तार करने वाला कोई विद्यमान उद्यम;

ड. **'उद्यम (Enterprise)'** से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति, उपक्रम, स्थापन, संस्था, संगठन, या अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या अनिगमित, जो माल के विनिर्माण या उत्पादन, सेवाओं के प्रावधान, या किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, अचल सम्पति (real estate), वृत्तिक, संस्थागत, शैक्षिक, स्वास्थ्य–देखभाल, सामाजिक क्षेत्र या अन्य आर्थिक गतिविधि के संचालन में संलग्न हो;

ढ. **'व्यवसाय सुगमता परिषद (Ease of Doing Business (EoDB) Council)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित परिषद;

ण. **'कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित कार्यपालक समिति;

त. **'विद्यमान उद्यम (Existing Enterprise)'** से अभिप्रेत है ऐसा उद्यम जिसने आशय की घोषणा प्रस्तुत करते समय वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन प्रारंभ कर दिया हो;

थ. **'G2B सेवा'** से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा उद्यमों को प्रदत्त सेवा, जिसमें किसी लाभ, विशेषाधिकार, अधिकार, परमिट, पुरस्कार, अनुज्ञप्ति, रियायत, या किसी उपांतरण, नवीकरण या विस्तार हेतु अनुरोध या आवेदन (चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन) शामिल हो;

द. **'प्रोत्साहन (Incentive)'** से अभिप्रेत हैं ऐसे वित्तीय एवं गैर–वित्तीय लाभ जो बिहार सरकार के प्रवृत्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, उपविधियों, या नीतियों के अधीन समय–समय पर उद्यमों को प्रदान किए जाते हैं;

ध. **'औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area)'** से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जिसके लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकार द्वारा समय–समय पर कोई प्राधिकरण गठित या इस रूप में अधिसूचित किया जा सके;

न. ' **औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण (Industrial Area Authority)'** से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, या जैसा राज्य सरकार और EoDB परिषद द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रूप में विहित किया जा सके;

प. **'मिश्रित उपयोग अधिभोग (Mixed–Use Occupancy)'** से अभिप्रेत है जहां किसी विशिष्ट भूखंड या भवन का उपयोग दो या अधिक गतिविधियों, जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, शैक्षिक प्रयोजनों या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है;

फ. **'MSME'** से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 2(e) के अधीन यथापरिभाषित MSME;

ब. **'अनुरूप न होने वाले क्षेत्र (Non–conforming areas)'** से अभिप्रेत है अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित भूमि या ऐसा क्षेत्र जो स्थानीय मास्टर प्लान या विकास योजना के अधीन उद्यम के लिए नियत नहीं है;

भ. **'खुला स्थान (Open Space)'** के अंतर्गत हरित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र आदि आते हैं;

म. **'विहित (Prescribed)'** से अभिप्रेत है नियमों द्वारा विहित, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित;

य. **'रजिस्ट्रीकृत आयुर्विज्ञान चिकित्सक (Registered Medical Practitioner)'** से अभिप्रेत है ऐसा आयुर्विज्ञान चिकित्सक जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (सन् 2019 का 30) के अधीन मान्यताप्राप्त कोई आयुर्विज्ञान अर्हता रखता हो और जिसका नाम किसी राज्य के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर या राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो।

(i) **'संबद्ध स्वास्थ्य वृत्तिक (Allied Health Professional)'** के अंतर्गत ऐसा सहायक, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद् आता है जिसने राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य–देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (सन् 2021 का सं. 14) के अधीन डिप्लोमा या डिग्री की कोई अर्हता प्राप्त की हो।

(ii) भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति का आयुर्विज्ञान चिकित्सक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के उपबंधों के अधीन आयुर्विज्ञान चिकित्सक के रूप में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;

र. **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार;

ल. **'सचिवालय (Secretariat)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथापरिभाषित कार्यपालक समिति का सचिवालय;

व. **'एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System)'** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत राज्य–स्तरीय वेब–सक्षम ऑनलाइन पोर्टल या मंच, जो इस अधिनियम के अधीन सभी आवेदनों, अनुमोदनों, परिवादों और अपीलों सहित, किंतु इन तक सीमित नहीं, के प्रस्तुतीकरण, संसाधन और अनुरेखण (tracking) के लिए है।

श. **'अनुसूची (Schedule)'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूचियां।

अध्याय II

बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के मार्गदर्शक सिद्धांत

3. मार्गदर्शक सिद्धांत।– यह अधिनियम निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रशासित किया जाएगा और इसके अधीन प्रयोज्य सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगाः –

(क) **अपवाद द्वारा अनुज्ञा (Permissionby Exception) ।**– कोई उद्यम कोई भी गतिविधि कर सकेगा जब तक कि ऐसी गतिविधि विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से मना न हो। किसी वैध सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि में विधि द्वारा न्यायोचित होने की दशा को छोड़कर कोई पूर्व अनुज्ञा, अनुमोदन, या प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(ख) **एक राज्य सिद्धांत (One State Principle) ।**– नियामक अनुपालन के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगी। कोई भी प्राधिकार ऐसी सूचना, दस्तावेजीकरण, अनुमोदन, या प्रक्रियाओं के दोहराव की अपेक्षा नहीं करेगा जो राज्य के किसी अन्य प्राधिकार के पास उपलब्ध हैं, या पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ग) **आनुपातिकता एवं जोखिम–आधारित विनियमन (Proportionality and Risk–based Regulation) ।**– नियामक संवीक्षा, अनुपालन, निरीक्षण, और प्रवर्तन की प्रकृति, तीव्रता, आवृत्ति, और स्वरूप वैध सार्वजनिक हितों के लिए गतिविधि द्वारा उत्पन्न तात्त्विक जोखिम को संबोधित करने हेतु आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होगा।

(घ) **निर्भरता एवं निश्चितता (Relianceand Certainty)।**– कोई उद्यम राज्य या उसके प्राधिकारियों द्वारा जारी या किए गए अनुमोदनों, नियम्य अनुमोदनों, रजिस्ट्रीकरणों, प्रमाणपत्रों और अभ्यावेदनों पर सद्भावपूर्वक निर्भर रहने का हकदार होगा, और ऐसी निर्भरता पर कार्य करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, सिवाय जहां ऐसा अनुमोदन या अभ्यावेदन कपट, तात्त्विक असत्य कथन, या तथ्यों के तात्त्विक दमन द्वारा प्राप्त किया गया हो।

(ङ) **पारदर्शिता एवं पूर्वानुमेयता (Transparency and Predictability) ।**–सभी नियामक अपेक्षाएं, प्रक्रियाएं, दस्तावेजीकरण, फीस, समय–सीमाएं, सेवा मानक, तथा अनुमोदन, अस्वीकृति, शिथिलीकरण, या प्रवर्तन के आधार पूर्व में प्रकाशित, सुगमता से सुलभ, और यथाप्रकाशित लागू किए जाएंगे। इस प्रकार अप्रकाशित कोई भी अपेक्षा किसी उद्यम के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगी।

(च) **समय की अवधि व्यतीत होने पर अनुदान की उपधारणा (Presumption of Granton Lapse of Time) ।**– जहां इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आवेदन, घोषणा, या अनुरोध विहित समय के भीतर निपटाया नहीं जाता है, वहां उद्यम, उस समय की समाप्ति पर, अधिकार के रूप में, ऐसे आवेदन, घोषणा, या अनुरोध में यथाभिप्रेत राहत, अनुज्ञा, रजिस्ट्रीकरण,

अनुज्ञप्ति, सेवा, या अन्य परिणाम का हकदार होगा, और किसी प्राधिकारी की ओर से किसी मौन, अकर्मण्यता, या विलंब से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

4. शक्तियों के प्रयोग में अनिवार्य कर्तव्यः –

(1) इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियां, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित शक्तियां शामिल है–

(क) अनुमोदन तथा नियम्य अनुमोदन,

(ख) शिथिलीकरण तथा छूट,

(ग) निरीक्षण नियंत्रण तथा स्थगन (moratoriums),

(घ) अनुसूचियों का रूपांतरण,

(ङ) विधियों का अधिभावी प्रभाव (override) या सामंजस्य (harmonization), धारा 3 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग की जाएंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आदेश, अधिसूचना, या विनिश्चय, जो–

(क) कोई अनुमोदन प्रदान या अस्वीकार करता है,

(ख) किसी नियामक अपेक्षा को शिथिल या अधिभावी करता है,

(ग) किसी स्थगन के होते हुए भी बाध्यकारी कार्रवाई प्रारंभ करता है, धारा 3 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन को दर्शाते हुए संक्षिप्त कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) कोई सक्षम प्राधिकार–

(क) ऐसी सूचना का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित नहीं करेगा जो राज्य के पास पहले से ही उपलब्ध है; या

(ख) ऐसी अनुपालन अपेक्षाएं अधिरोपित नहीं करेगा जो नियत एकल खिड़की प्रणाली पर प्रकाशित न हों।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई शक्ति एक से अधिक वैध परिणामों को स्वीकार करती है, वहां प्राधिकार उस परिणाम को वरीयता देगा जो–

(क) न्यूनतम नियामक भार अधिरोपित करेगा; और

(ख) केवल खंडीय या व्यक्तिगत हितों को नहीं, बल्कि सामान्य जनता के हितों को पर्याप्त रूप से संरक्षित करेगा;

और यह लिखित रूप में अभिलिखित करेगा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार वरीयता प्राप्त परिणाम खंड (क) और (ख) का अनुपालन करता है।

(5) इस उपबंध का अनुपालन करने में विफलता इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिश्चय को पुनर्विलोकन या अपील के दायित्वाधीन बनाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों के प्रयोग में धारा 4 के अधीन अनिवार्य कर्तव्यों के अनुपालन में विलंब, लोप, त्रुटि, या विफलता के एकमात्र कारण से किसी उद्यम को कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा।

अध्याय III

व्यवसाय सुगमता परिषद, कार्यपालक समिति एवं सचिवालय

5. व्यवसाय सुगमता (EoDB) परिषद ।–

(1) निम्नानुसार गठित एक व्यवसाय सुगमता परिषद होगीः –

i.	बिहार राज्य के मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष;
ii.	उद्योग, नगर विकास एवं आवास विभाग, वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, वित्त, श्रम, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि तथा पंचायती राज विभागों के मंत्री	–	सदस्य;
iii.	बिहार राज्य के मुख्य सचिव	–	सदस्य;
iv.	बिहार राज्य के विकास आयुक्त	–	सदस्य;
v.	उद्योग, नगर विकास, वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, राजस्व, वित्त, श्रम, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक कर,	–	सदस्य;

ऊर्जा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि तथा पंचायती राज विभागों तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

vi. अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य; और

vii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग – सदस्य सचिव।

(2) अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारियों, सचिवों या विभागों के मंत्रियों को सहयोजित (co-opt) कर सकेंगे जिन्हें वे उचित समझेंगे ।

(3) अध्यक्ष ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेंगे जिन्हें वे उचित समझेंगे ।

(4) अध्यक्ष व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के ऐसे प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेंगे जिन्हें वे उचित समझेंगे ।

(5) परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार, अध्यक्ष द्वारा नियत समय और स्थान पर बैठक करेगी।

(6) परिषद की किसी बैठक के लिए दो–तिहाई सदस्य गणपूर्ति (quorum) गठित करेंगे। परिषद की बैठकें अध्यक्ष द्वारा नियत रीति से, जिसमें भौतिक, आभासी या मिश्रित रीति शामिल है, संचालित की जा सकेंगी।

6. EoDB परिषद की शक्तियां एवं कृत्य ।–

(1) परिषद अपने स्वयं के विनियम और प्रक्रियाएं बना सकेगी और कार्यकारिणी समिति, सचिवालय तथा जिला सशक्त समिति को ऐसे कृत्य आबंटित कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझे।

(2) इस अधिनियम के अधीन परिषद अपने कार्य के संचालन के लिए उचित समझने पर ठीक से कार्य संचालन हेतु नियम और विनियम बना सकेगा।

(3) परिषद निवेश को बढ़ावा देने, व्यवसाय नियामक पर्यावरण में सुधार लाने, तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी।

7. कार्यकारिणी समिति ।–

(1) इस अधिनियम के दैनंदिन कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एक कार्यकारिणी समिति होगी।

(2) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगेः –

i. मुख्य सचिव, बिहार सरकार – अध्यक्ष;

ii. विकास आयुक्त, बिहार सरकार – उपाध्यक्ष;

iii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग – सदस्य सचिव;

iv. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग – सदस्य;

v. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग – सदस्य;

vi. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग – सदस्य;

vii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग – सदस्य;

viii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग – सदस्य;

ix. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग – सदस्य;

x. अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;

xi. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग – सदस्य;

xii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग – सदस्य;

xiii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य;

xiv. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग – सदस्य;

xv. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विधि विभाग – सदस्य;

xvi. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग – सदस्य; और

xvii. आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर – सदस्य।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा और उसमें निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अन्य विभागों, बोर्डों, प्राधिकारों, या सोसाइटियों के ऐसे अन्य अधिकारियों को सहयोजित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे।

(5) कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष इस समिति में पांच सदस्यों को नामित कर सकेगा, जिनमें से कम से कम दो सदस्य, जैसा उचित समझा जाए, उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

(6) कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए आधे सदस्य गणपूर्ति गठित करेंगे।

कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य दृश्य–श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, के माध्यम से किसी बैठक में भाग ले सकेगा, जो सभी सहभागी सदस्यों को कार्यवाही के दौरान एक–दूसरे को समवर्ती रूप से सुनने और, जहां साध्य हो, देखने में सक्षम बनाती हैं। ऐसे साधनों के माध्यम से सहभागिता गणपूर्ति, विचार–विमर्श, और मतदान के प्रयोजनों के लिए बैठक में उपस्थिति गठित करती हुई समझी जाएगी।

(7) कार्यकारिणी समिति को अपने दैनंदिन कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपनी प्रविधि निर्धारित करने की शक्ति होगी।

(8) कार्यकारिणी समिति, EoDB परिषद के अनुमोदन पर, भर्ती, सेवाओं, वित्तीय, तकनीकी तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी अन्य प्रयोजन सहित, किंतु इन तक सीमित नहीं, अपने स्वयं के विनियम बना सकेगी।

(9) कार्यकारिणी समिति का, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा–परिभाषित, एक सचिवालय होगा, जिसका प्रधान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) होगा।

8. कार्यकारिणी समिति की शक्तियां एवं कृत्य ।–

(1) कार्यकारिणी समिति अपने सचिवालय एवं एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से, जिला सशक्त समितियों के साथ समन्वय में, पात्र उद्यमों के निवेशकों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक अनुमोदन समयबद्ध रीति से प्रदान किए जाएं।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, कार्यकारिणी समिति सचिवालय के माध्यम से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, सचिवालय में वृत्तिकों, परामर्शदाताओं, परामर्श फर्मों, तकनीकी अभिकरणों, सुकरता (facilitation) अभिकरणों या अन्य सेवा प्रदाताओं को नियोजित या नियुक्त कर सकेगी।

(3) कार्यकारिणी समिति, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अपेक्षित अनुमोदनों की संख्या का समय–समय पर युक्तिकरण (rationalise), संवर्धन, विलोपन, या पुनरीक्षण करेगी। ऐसा कोई भी युक्तिकरण, संवर्धन, विलोपन, या पुनरीक्षण अनुसूची **V** में प्रतिबिंबित किया जाएगा, जो तदनुसार संशोधित समझी जाएगी। अनुसूची **V** में इंगित अनुमोदन समय–समय पर अनुसूची में इंगित सीमा तक समाप्त/रूपांतरित समझे जाएंगे।

(4) कार्यकारिणी समिति जिला सशक्त समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण (monitor) करेगी तथा जिला स्तर पर आवेदनों के समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय करेगी। कार्यकारिणी समिति जिला सशक्त समितियों के निष्पादन की समीक्षा करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(5) कार्यकारिणी समिति, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अतिरिक्त प्राधिकार को सक्षम प्राधिकार के रूप में अधिसूचित कर सकेगी, और अनुसूची **I** तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

(6) कार्यकारिणी समिति अनुसूची **II** में विनिर्दिष्ट 'नकारात्मक सूची (Negative List)' को, अपेक्षानुसार, पुनरीक्षित या संशोधित करने के लिए सक्षम होगी।

(7) कार्यकारिणी समिति गतिविधियों की विनिर्दिष्ट अनुसूचियों (अनुसूची **III** और **IV**) में, अपेक्षानुसार, संवर्धन या विलोपन करने के लिए सक्षम होगी।

(8) इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई किसी केंद्रीय अधिनियम या मूल राज्य अधिनियम द्वारा विहित किसी अपेक्षा को समाप्त, संशोधित या न्यून नहीं करेगी, सिवाय उस सीमा तक जो उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विधिपूर्वक बनाए गए नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात हो।

(9) कार्यकारिणी समिति स्वास्थ्य देखभाल उद्यमों की स्थापना, संचालन, या विस्तार के लिए अपेक्षित बहु–अनुमोदनों को सुकर बनाने, समन्वित करने और संसाधित करने के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उपयुक्त अभिकरण नामित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निदेश जारी करेगी। ऐसे कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए, कार्यकारिणी समिति स्वास्थ्य विभाग को किसी तृतीय–पक्ष सेवा प्रदाता को नियोजित, सूचीबद्ध, या नियुक्त करने के लिए निदेश जारी कर सकेगी।

(10) कार्यकारिणी समिति एकल खिड़की प्रणाली पर सभी अनुज्ञप्तियों के लिए बदलाव समय (TurnaroundTime–TAT) का अनुवीक्षण करेगी और राज्य में नियामक भार कम करने तथा व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के लिए समुचित उपाय करेगी।

(11) कार्यकारिणी समिति सक्षम प्राधिकारियों को अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऐसे निदेश देने में सक्षम होगी।

(12) कार्यकारिणी समिति अनुमोदन चाहने वाले उद्यमों के लिए एकल खिड़की प्रणाली अंतरापृष्ठ (interface) के अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी होगी और ऐसे अनुमोदनों के लिए बदलाव समय प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(13) कार्यकारिणी समिति, EoDB परिषद के अनुमोदन पर, बिहार सरकार के विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों, या नीतियों के अधीन पात्र उद्यमों को वित्तीय अनुमोदन के लिए नियम, विनियम, और प्रक्रियाएं तैयार करेगी।

(14) कार्यकारिणी समिति, EoDB परिषद के अनुमोदन पर, या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, बिहार सरकार के विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमों, या नीतियों के अधीन पात्र उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी विहित कर सकेगी।

(15) कार्यकारिणी समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो इस अधिनियम के अधीन EoDB परिषद या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(16) कार्यकारिणी समिति CIPA के अधीन विनिर्दिष्ट किसी समय–सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी, सिवाय जहां ऐसी समय–सीमा किसी केंद्रीय अधिनियम या अन्य प्रयोज्य विधि के अधीन विहित हो।

9. सचिवालय ।–

(1) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यकारिणी समिति की सहायता के लिए, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में, एक सचिवालय होगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सचिवालय के CEO होंगे। सचिवालय 'इन्वेस्ट बिहार' के नाम से भी जाना जाएगा।

(2) सचिवालय में निम्नलिखित होंगेः –

क) वित्त विभाग का संयुक्त सचिव के पद से अन्यून पदाधिकारी;

ख) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण अभियंता के पद से अन्यून पदाधिकारी;

ग) नगर विकास एवं आवास विभाग का नगर योजनाकार/वास्तुविद/शहरी योजनाकार के पद से अन्यून पदाधिकारी;

घ) श्रम संसाधन विभाग का संयुक्त श्रमायुक्त के पद से अन्यून पदाधिकारी;

ङ) वाणिज्यिक कर विभाग का उपायुक्त के पद से अन्यून पदाधिकारी;

च) बिहार राज्य पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधीक्षण अभियंता के पद से अन्यून पदाधिकारी;

छ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाने वाला उप सचिव के पद से अन्यून पदाधिकारी;

ज) श्रम संसाधन विभाग का उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद से अन्यून पदाधिकारी;

झ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाने वाला उप सचिव के पद से अन्यून पदाधिकारी; और

ञ) ऐसे अन्य पदाधिकारी और कर्मचारीवृंद जो सचिवालय द्वारा अपेक्षित हों। इस धारा के प्रयोजनार्थ के लिए सचिवालय में किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति सक्षम प्राधिकार होगी।

(3) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मचारीवृंद सचिवालय के CEO के प्रत्यक्ष प्रशासनिक कमान, अनुशासनिक नियंत्रण, और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(4) EoDB परिषद, कार्यकारिणी समिति की संस्तुति पर, सचिवालय की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों, जिसमें उसकी शक्तियां भी शामिल हैं, को तैयार करेगी।

(5) कार्यकारिणी समिति सचिवालय के कार्यों के लिए आवश्यक मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (SOPs) तैयार करने में सक्षम होगी।

(6) यदि सक्षम प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर, या जिस अधिनियम या नियमों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है उसमें विहित समय–सीमा के भीतर, अनुमोदन प्रदान करने या विनिश्चय लेने में विफल रहता है, तो सचिवालय नियम्य अनुमोदन जारी करने के लिए सशक्त होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी सचिवालय द्वारा जारी अनापत्तियों का अनुपालन करेगा और उसे सचिवालय के विनिश्चय की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

(7) सचिवालय का CEO बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऐसे कदम उठा सकेगा, जिसमें निवेशकों को आवश्यक साधनों के माध्यम से सुगमता प्रदान करना शामिल है।

(8) इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन नियोजित कर्मीवृंद सचिवालय के CEO के प्रत्यक्ष प्रशासनिक कमान, अनुशासनिक नियंत्रण, और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे।

अध्याय IV:
जिला सशक्त समिति

10. जिला सशक्त समिति (DEC) ।–

(1) प्रत्येक जिले में, कार्यकारिणी समिति के अधीक्षण में कार्य करने वाली, एक जिला सशक्त समिति होगी।

(2) जिला सशक्त समिति में निम्नलिखित होंगे: –

i. जिले के जिला पदाधिकारी –– अध्यक्ष;

ii. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र –– सदस्य सचिव;

iii. जिले के सभी अपर समाहर्ता –– सदस्य;

iv. पुलिस अधीक्षक ––सदस्य;

v. स्थानीय नगर निगम/नगरपालिका के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी ––सदस्य;

vi. योजना क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ––सदस्य;

vii. प्रमंडलीय वन पदाधिकारी ––सदस्य;

viii. जिला अग्निशमन पदाधिकारी ––सदस्य;

ix. जिला खनन पदाधिकारी ––सदस्य;

x. कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग ––सदस्य;

xi. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग ––सदस्य;

xii. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग ––सदस्य;

xiii. अध्यक्ष आवश्यकतानुसार उद्योग आदि से अन्य अधिकारियों/विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगा।

(3) जिला सशक्त समिति के लिए आधे सदस्य गणपूर्ति गठित करेंगे।

जिला सशक्त समिति का कोई भी सदस्य दृश्य–श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, के माध्यम से किसी बैठक में भाग ले सकेगा, जो सभी सहभागी सदस्यों को कार्यवाही के दौरान एक–दूसरे को समवर्ती रूप से सुनने और, जहां साध्य हो, देखने में सक्षम बनाती हैं। ऐसे साधनों के माध्यम से सहभागिता गणपूर्ति, विचार–विमर्श, और मतदान के प्रयोजनों के लिए बैठक में उपस्थिति गठित करती हुई समझी जाएगी।

(4) जिला सशक्त समिति की शक्तियां एवं कृत्यः –

क. उद्यमों द्वारा आशय की घोषणाओं के फाइल किए जाने तथा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से ऐसे उद्यमों को भावी अनुमोदन के प्रमाणपत्रों के निर्गमन को सुकर बनाना;

ख. सक्षम प्राधिकारियों का अनुश्रवण करना और यह सुनिश्चित करना कि अनुमोदन नियमों द्वारा विहित समय–सीमाओं के अनुसार प्रदान किए जाएं;

ग. यह सुनिश्चित करना कि उद्यमों को प्रत्येक अपेक्षित अनुमोदन बिना अनुचित विलंब के प्रदान किया जाए;

घ. EoDB परिषद, कार्यकारिणी समिति की संस्तुति पर, जिला सशक्त समिति की वित्तीय शक्तियां विहित करेगी;

ङ. जहां जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी उद्यम का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, या किसी उद्यम को समयबद्ध रीति से अनुमोदन नहीं दिया जाता है, वहां जिला सशक्त समिति इस अधिनियम के अधीन अनुमोदनों से संबंधित ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक विनिश्चय को अभिभावी (overrule) करने के लिए सशक्त होगी, किंतु किसी अन्य विधि के अधीन पारित किसी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक आदेश की समीक्षा, रूपांतरण, या निरस्तीकरण नहीं करेगी;

च. जहां उद्यम द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला सशक्त समिति के समक्ष कोई नया तथ्य लाया जाता है, वहां समिति अपने पूर्ववर्ती स्वीकृति/अस्वीकृति के आदेश की समीक्षा करने के लिए सक्षम होगी।

छ. जहां किसी विद्यमान उद्यम को अपना व्यवसाय, गतिविधि, कारखाना आदि संचालित करने की अनुज्ञा नहीं थी, वहां उद्यम सीधे जिला सशक्त समिति को आवेदन कर सकेगा जो मामले पर विचार करेगीय जिला सशक्त समिति संबंधित सक्षम प्राधिकारी के विचार प्राप्त करने तथा उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, मामले पर विचार करेगी और आवश्यक ऐसा आदेश पारित करेगी।

ज. जिला सशक्त समिति प्रत्येक छह माह में कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखे जाने वाला एक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगेः–

(**i**) प्रदत्त भावी अनुमोदनों और नियम्य अनुमोदनों की संख्या और विवरण;

(**ii**) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आवेदकों को प्रदत्त अनुमोदनों की संख्या और इसमें लिया गया समय;

(**iii**) जिला सशक्त समिति द्वारा निपटाए गए अन्य आवेदनों का विवरण।

झ. कार्यकारिणी समिति, या राज्य EoDBपरिषद द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कृत्य।

11. जिला सशक्त समिति के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।–

(1) जिला सशक्त समिति द्वारा लिए गए विनिश्चयों के लिए कार्यकारिणी समिति अपीलीय मंच होगी।

(2) जिला सशक्त समिति के आदेश से व्यथित कोई उद्यम या सक्षम प्राधिकारी आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यकारिणी समिति के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(3) कार्यकारिणी समिति स्वयं अपील सुन सकेगी, या समिति के किसी सदस्य, या सचिवालय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को किसी विशिष्ट अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी;

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत कार्यकारिणी समिति, प्राधिकृत सदस्य, या सचिवालय का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपील सुनेगा और उसे फाइल किए जाने के तीस दिनों के भीतर निपटाएगा। ऐसा सदस्य सक्षम प्राधिकारियों सहित संबंधित हितधारकों को आमंत्रित करेगा, और सभी हितधारकों को सुनने के पश्चात;

(5) अपीलों की सुनवाई व्यक्तिशः या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकेगी।

अध्याय V

व्यवसाय सुगमता

भाग कः भूमि उपयोग एवं क्षेत्रीकरण (Zoning) सुधार

12. प्रतिषेध तक अनुज्ञप्त।–कोई उद्यम किसी भी स्थान पर कोई भी गतिविधि करने के लिए स्वतंत्र होगा जब तक कि वह इस अधिनियम की अनुसूची **II** में उल्लिखित नकारात्मक सूची के अनुसार विशेष रूप से प्रतिषिद्ध न हो।

13. बहु–अधिभोग एवं मिश्रित–उपयोग भवन त्रुटि रूप से अनुज्ञप्त।–बहु–अधिभोग और मिश्रित–उपयोग भवन केवल उस सीमा तक अनुज्ञेय होंगे जितनी सीमा तक लागू मास्टर प्लान, विकास योजना, विकास नियंत्रण विनियमों, और बिहार भवन उपविधियों के अधीन अनुज्ञप्त है।

भाग खः विकास नियंत्रण विनियम एवं प्रचालनात्मक लचीलापन

14. अनुज्ञप्तियों आदि की अवधि का सामंजस्य।–राज्य सरकार, अधिसूचना के माध्यम से, किसी उद्यम के संबंध में विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञ पत्र, अनापत्तियों की एक सामान्य वैधता अवधि/अवधि नियत करने के लिए सक्षम होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित उद्यम इन अनुज्ञप्तियों के नवीकरण आदि को किसी विशेष समय पर और किसी विशेष अवधि के पश्चात् आगे बढ़ा सके।

15. उद्यमों, विशेष रूप से MSMEs पर विकास नियंत्रण विनियम प्रतिबंधों में सुगमता।–

(1) राज्य सरकार किसी उद्यम को राज्य की विधि/नियमों के अधीन अनुज्ञप्त ऐसी गतिविधि करने की अनुज्ञा देगी। उद्यमों, विशेष रूप से MSMEs को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार यथासंभव सीमा तक विकास नियंत्रण विनियमों (DCRs) से संबंधित प्रतिबंधों में सुगमता लाएगी।

(2) राज्य सरकार ऐसी अधि–सूचनाओं या आदेशों के माध्यम से, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, विकास नियंत्रण विनियमों (DCRs) को सुगम, शिथिल, या संशोधित करने के लिए सक्षम होगी। तदनुसार, संबंधित भवन उपविधियां, नगरपालिका अधिनियम/उपविधियां और अग्नि सुरक्षा अधिनियम/उपविधियां उक्त अधिसूचना में इंगित सीमा तक संशोधित समझी जाएंगीय

(3) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी विशेष उद्यम, दुकान, प्रतिष्ठान आदि को, विहित अनुपालन के अधीन रहते हुए, 24X7 प्रचालन की अनुज्ञा दे सकेगी।

16. अग्नि सुरक्षा अनुपालन ढांचा ।–

(1) सभी उद्यम अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपात निकास, निष्क्रमण योजनाओं, विद्युत सुरक्षा, तथा अन्य अग्नि सुरक्षा उपायों के अधिष्ठापन और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए विहित अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करेंगे।

(2) अग्नि सुरक्षा के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन तंत्र निम्नानुसार जोखिम–आधारित होगाः–

क. अनुसूची **III** (अति निम्न जोखिम या निम्न जोखिम) के अधीन आने वाले उद्यमों के लिए, अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन इस अधिनियम की अनुसूची **III** में विनिर्दिष्ट रूप में, स्व–घोषणा या बिहार अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा सूचीबद्ध अनुज्ञप्ति प्राप्त अग्नि सुरक्षा लेखा–परीक्षक द्वारा तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा।

ख. अनुसूची **IV** के अधीन आने वाले उद्यमों के लिए, बिहार अग्निशमन सेवा विभाग या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी से, जो विहित किया जाए, अग्नि अनापत्ति अनिवार्य होगी, सिवाय जहां अग्नि अनापत्ति पहले ही प्राप्त की जा चुकी हो, अपेक्षित न हो, या किसी अन्य प्रयोज्य विधि, नियम, या उपविधि के अधीन प्रदत्त मानित समझी जाती हो।

17. नकारात्मक सूची।–

(1) आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, परिवहन–उन्मुख विकास क्षेत्रों, पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्रों, विरासत संपत्तियों तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जो लोक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय अखंडता, और शहरी योजना के अनुरूपता की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, कुछ गतिविधियां अनुज्ञात नहीं होंगी।

(2) 'नकारात्मक सूची' गतिविधियां इस अधिनियम की अनुसूची **II** में उल्लिखित हैं।

(3) तथापि, उद्योगों, गतिविधियों और उद्यम की नकारात्मक सूची अधिसूचित औद्योगिक भूसंपत्तियों या औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक पार्कों पर लागू नहीं होगी।

अध्याय VI
एकल खिड़की प्रणाली

18. एकल खिड़की प्रणाली।–

(1) राज्य सरकार एक ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली विकसित करेगी। सामान्य आवेदन प्रपत्र और सहायक दस्तावेजों सहित सभी आवेदन, जैसा विहित किया जाए, इस प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। अनुमोदन, निरीक्षण, भुगतान, अनुपालन फाइलिंग, और आवेदन अनुरेखण इस प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे, और अनुमोदन, अस्वीकृति, या किसी भी प्रश्न के सभी संसूचन इस प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे।

(2) एकल खिड़की प्रणाली प्रत्येक आवेदक को एक वास्तविक–समय डैशबोर्ड प्रदान करेगी जो आवेदनों की स्थिति, लंबित प्रश्नों, व्यतीत समय, विहित समय–सीमाओं के अनुपालन, डाउनलोड करने योग्य अनुमोदन प्रमाणपत्रों, और भुगतान अभिलेखों को प्रदर्शित करेगी।

(3) राज्य सरकार, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सेवा वितरण की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और अनुश्रवण के लिए आवश्यक निपटान दरों, औसत संसाधन समय, तथा ऐसी अन्य गैर–व्यक्तिगत सूचना सहित, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से संसाधित आवेदनों से संबंधित समग्र निष्पादन आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में रखेगी।

अध्याय VII
आशय की घोषणा तथा भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र

19. आशय की घोषणा का फाइल किया जाना।–कोई भी उद्यम जो किसी विद्यमान उद्यम को स्थापित करने या विस्तार करने का आशय रखता है, भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र (CIPA) प्राप्त करने का इच्छुक है और राज्य में अपना व्यवसाय स्थापित करने का आशय रखता है, जिला सशक्त समिति (DEC) को एकल खिड़की प्रणाली पर, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, आशय की घोषणा (DoI) प्रस्तुत करेगा।

20. भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र (CIPA) ।–

(1) भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र (CIPA) ऐसी नियामक सेवाओं के लिए, जो विहित की जाएं, अनुमोदन के रूप में कार्य करेगा।

(2) आशय की घोषणा प्राप्त होने पर, DEC भावी अनुमोदन का प्रमाण पत्र (CIPA) जारी करेगी।

(3) भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(4) भावी अनुमोदन के प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के दौरान, इस धारा की उपधारा (17), और इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन उपबंध को छोड़कर, कोई भी सक्षम प्राधिकारी किसी अनुमोदन के लिए, या उससे संबंधित, कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

(5) निर्धारित प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आशय की घोषणा प्राप्त होने पर राज्य में स्थापित किए जा रहे किसी नए उद्यम को भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

(6) निर्धारित प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आशय की घोषणा प्राप्त होने पर राज्य में विस्तार के लिए किसी विद्यमान उद्यम को भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

(7) भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना वैकल्पिक होगा, और कोई उद्यम किसी भी समय नियमित अनुमोदन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकेगा।

(8) भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति को अधिसूचित मास्टर प्लान या अधिसूचित स्थानीय योजना क्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग या किसी शर्त से विचलन में भूमि के किसी टुकड़े का उपयोग करने का हकदार नहीं बनाएगा।

(9) भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, या जैसा विहित किया जाए, उद्यम को गतिविधियों की प्रकृति बदलने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा।

(10) यदि आवेदक किसी विभाग के किसी अधिनियम, नियम, या विनियम के उल्लंघन में पाया जाता है, तो भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र आदितः (ab initio) शून्य समझा जाएगा।

(11) भावी अनुमोदन के प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि के दौरान, उद्यम किसी भी समय, किंतु प्रमाणपत्र के निर्गमन की तारीख से तीन वर्ष से बाद में नहीं, या तो एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से, जैसा विहित किया जाए, या संबंधित विभागों के प्रासंगिक अधिनियमों/विनियमों के अधीन नियमित अनुमोदनों के माध्यम से, सभी प्रयोज्य नियमित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(12) कोई उद्यम या व्यक्ति भावी अनुमोदन के प्रमाणपत्र की वैधता, उसकी समाप्ति, या प्रतिसंहरण की अवधि के दौरान पुनः किसी समय भावी अनुमोदन के प्रमाणपत्र के लिए वैध आवेदन नहीं कर सकेगा, सिवाय विस्तार के प्रयोजन के लिए, और विस्तार के लिए किया गया भावी अनुमोदन के प्रमाणपत्र के लिए कोई भी आवेदन CIPA को प्रस्तावित विस्तार तक सीमित प्रभावी करेगा।

(13) भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र आशय की घोषणा प्राप्ति की तारीख से सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 कार्य दिवसों के भीतर, लघु उद्यमों के लिए 10 कार्य दिवसों के भीतर, तथा मध्यम एवं बृहत् उद्यमों के लिए 15 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा।

(14) यदि भावी अनुमोदन का प्रमाणपत्र विहित अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो वह प्रदत्त किया गया मानित (deemed) समझा जाएगा।

(15) अस्वीकृति के आधारों को विनिर्दिष्ट करने वाले लिखित तर्कयुक्त आदेश के अतिरिक्त कोई आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। जहां DoI अस्वीकृत की जाती है, वहां आवेदक को कमियों को दूर करने और, जैसा विहित किया जाए, सुने जाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(16) राज्य सरकार या व्यवसाय सुगमता (EoDB) परिषद, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी विहित कर सकेगी।

(17) राज्य सरकार याEoDBपरिषद, नियमों द्वारा, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलों के फाइल किए जाने, सुनवाई, और निपटान में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेगी।

(18) इस अधिनियम के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा, अपील की प्राप्ति की तारीख से गणना करते हुए, ऐसे कार्य दिवसों की संख्या के भीतर, जो विहित की जाए, निपटाई जाएगी।

(19) जहां अपीलीय प्राधिकारी विहित अवधि के भीतर अपील का निपटान करने में विफल रहता है, वहां अपील अनुज्ञात की गई समझी जाएगी, और उसमें मांगा गया अनुमोदन आवेदक के पक्ष में प्रदत्त किया गया मानित समझा जाएगा।

(20) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारिणी समिति द्वारा विहित की जा सकने वाली गतिविधियों में लगे उद्यमों के लिए प्रयोज्य विधियों के अधीन अनुमोदन और अनापत्तियां अनिवार्य बनी रहेंगी।

अध्याय VIII

निजी विद्यालय एवं उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के विषय में

21. निजी विद्यालयों पर प्रतिबंधों में सुगमता ।–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से संबंधित किसी प्रतिबंध को सुगम या शिथिल कर सकेगी–––

क. किंडरगार्टन से कक्षा XII तक निजी विद्यालय की स्थापना या संचालन के लिए, स्वामित्व, पट्टे, किराए, या अन्यथा के माध्यम से, न्यूनतम भूमि की अपेक्षा;

ख. निजी विद्यालयों को प्रयोज्य अवसंरचना अपेक्षाएं, जिनमें खेल के मैदान, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, कक्षा आकार, निर्मित क्षेत्र, कंप्यूटर, पुस्तकालय, पुस्तकें, या कोई अन्य समरूप सुविधाएं शामिल हैं; और

ग. किसी निजी विद्यालय द्वारा किसी न्यूनतम प्रतिभूति निक्षेप, बंदोबस्ती निधि, या किसी अन्य वित्तीय आरक्षिति के अनुरक्षण की अपेक्षा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के निर्गमन पर, किसी अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश, दिशानिर्देश, या विधि के बल वाले किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट तथा निजी विद्यालयों को प्रयोज्य कोई उपबंध ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

(3) राज्य सरकार निजी विद्यालयों को खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, सामान्य सेवा केंद्रों, या ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सुविधाओं के साझा उपयोग के लिए किसी सरकारी या निजी निकाय के साथ व्यवस्थाएं करने की अनुमति, ऐसे निबंधनों, शर्तों, और संदायों के अधीन रहते हुए दे सकेगी, जो विहित किए जाएं।

22. निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर प्रतिबंधों में सुगमता ।–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित से संबंधित किसी प्रतिबंध को सुगम या शिथिल कर सकेगी–––

क. किसी निजी विश्वविद्यालय या किसी निजी उच्चतर शिक्षा संस्था की स्थापना या संचालन के लिए, स्वामित्व, पट्टे, किराए, या अन्यथा के माध्यम से, न्यूनतम भूमि की अपेक्षा;

ख. निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रयोज्य अवसंरचना अपेक्षाएं, जिनमें खेल के मैदान, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, कक्षा आकार, निर्मित क्षेत्र, कंप्यूटर, पुस्तकालय, पुस्तकें, या कोई अन्य समरूप सुविधाएं शामिल हैं; और

ग. किसी निजी उच्चतर शिक्षा संस्था द्वारा किसी न्यूनतम प्रतिभूति निक्षेप, बंदोबस्ती निधि, या किसी अन्य वित्तीय आरक्षिति के अनुरक्षण की अपेक्षा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के निर्गमन पर, किसी अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश, दिशानिर्देश, या विधि के बल वाले किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट तथा निजी विश्वविद्यालयों या निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रयोज्य कोई उपबंध ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

(3) राज्य सरकार निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, सामान्य सेवा केंद्रों, या ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सुविधाओं के साझा उपयोग के लिए किसी सरकारी या निजी निकाय के साथ व्यवस्थाएं करने की अनुमति, ऐसे निबंधनों, शर्तों, और संदायों के अधीन रहते हुए दे सकेगी, जो विहित किए जाएं।

स्पष्टीकरण ।– इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए, 'उच्चतर शिक्षा संस्था' से अभिप्रेत है ऐसी कोई संस्था जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उच्चतर शिक्षा संस्था घोषित करे, और ऐसी घोषणा पर, इस अधिनियम के उपबंध ऐसी संस्था पर लागू होंगे।

अध्याय IX

मास्टर प्लान और भूमि उपयोग के प्रतिबंधों के विषय में

23. भूमि उपयोग, प्रतिबंधित क्षेत्र और अननुरूप क्षेत्र ।–

(1) कोई उद्यम केवल उस भूमि उपयोग क्षेत्र में स्थापित किया जा सकेगा जिसमें ऐसी गतिविधि लागू मास्टर प्लान, विकास योजना, विकास नियंत्रण विनियमों, और बिहार भवन उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय हो।

(2) इस अधिनियम की कोई बात वन भूमि, पर्यावरण–संवेदनशील मंडलों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों, सामुदायिक रिजर्वों, आर्द्रभूमियों, आरक्षित वनों, संरक्षित वनों, सरकारी अभिलेखों में दर्ज जंगल, जल निकायों, दियारा भूमि, विरासत/प्रतिषिद्ध/ विनियमित क्षेत्रों, सरकारी भूमि, सीमा–अधिशेष भूमि, काश्तकारी भूमि, या किसी अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील या विधितः प्रतिबंधित क्षेत्र पर किसी गतिविधि पर लागू नहीं होगी या उसकी अनुज्ञा नहीं देगी।

(3) इस धारा की कोई बात जिला सशक्त समिति या इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को स्वत्व (title), काश्तकारी, सीमा (ceiling), सरकारी–भूमि, अतिक्रमण, दाखिल–खारिज (mutation), भू–अभिलेख, या किसी अर्ध–न्यायिक राजस्व विवाद का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

(4) जहां प्रयोज्य विधि के अधीन कोई अभिव्यक्त भूमि–उपयोग अनुज्ञा प्रदान की जाती है, वहां संबंधित प्राधिकारी इसे अंचलाधिकारी और ऐसे अन्य अभिलेख–धारक प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, संसूचित करेगा।

अध्याय X

वृत्तिकों (Professionals) के विषय में

24. स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक ।–

(1) भारत के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कोई रजिस्ट्रीकृत आयुर्विज्ञान व्यवसायी, भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति का आयुर्विज्ञान व्यवसायी, या संबद्ध एवं स्वास्थ्य–देखभाल वृत्तिक, बिहार राज्य में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा और उसे रजिस्ट्रीकरण का अंतरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, नया रजिस्ट्रीकरण, या कोई अन्य अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों: –

क. किसी रजिस्ट्रीकृत आयुर्विज्ञान व्यवसायी को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 और उसके अधीन नियमों या अधिसूचनाओं के अधीन आचार एवं आयुर्विज्ञान रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा एक वैध विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण आईडी सौंपी गई हो।

ख. प्रत्येक स्वनियोजित रजिस्ट्रीकृत आयुर्विज्ञान व्यवसायी रोगियों को जारी सभी नुस्खे (prescriptions), प्रमाणपत्रों, रसीदों, और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर आचार एवं आयुर्विज्ञान रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा सौंपी गई विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण आईडी प्रदर्शित करेगा, और आचार एवं आयुर्विज्ञान रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या केंद्रीय विधियों द्वारा विहित किसी अन्य निकाय द्वारा विहित ऐसे रजिस्ट्रीकरण संख्या के उपयोग, प्रदर्शन, और निरूपण की रीति से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

ग. किसी विदेशी संस्था से प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखने वाला तथा विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक परीक्षा (FMGE), राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा (NExT), या किसी उत्तरवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात् भारत में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला रजिस्ट्रीकृत आयुर्विज्ञान व्यवसायी केवल ऐसे उपसर्गों, प्रत्ययों, उपाधियों, या पदनामों का उपयोग करेगा जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2021 द्वारा अनुमोदित हों तथा इस उपबंध की उपधारा (1)(क) का तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2021 के अधीन तत्संबंधी विहित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

घ. कोई संबद्ध एवं स्वास्थ्य–देखभाल वृत्तिक राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य–देखभाल वृत्तियां आयोग अधिनियम, 2021 की धाराओं 13 और 18 के अधीन, समय–समय पर यथासंशोधित, प्रैक्टिस की संगत श्रेणी में केंद्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य–देखभाल

वृत्तिक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होगा, और इसके अधीन विहित सभी अर्हता, रजिस्ट्रीकरण, और अन्य पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

ङ. भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति का कोई आयुर्विज्ञान व्यवसायी भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धाराओं 27 और 32 के अधीन अनुरक्षित राष्ट्रीय रजिस्टर में, समय–समय पर यथासंशोधित, रजिस्ट्रीकृत होगा, और इसके अधीन विहित सभी अर्हता, रजिस्ट्रीकरण, और अन्य पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

च. रजिस्ट्रीकृत नर्सें, दाइयां (midwives), सहायक नर्स दाइयां और स्वास्थ्य आगंतुक (health visitors) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धाराओं 15 **क** और 15 **ख** के अधीन, समय–समय पर यथासंशोधित, प्रैक्टिस की संगत श्रेणी में भारतीय नर्स रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होंगी और इसके अधीन विहित सभी अर्हता, रजिस्ट्रीकरण, और अन्य पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

(2) इस उपबंध के अधीन मानित रजिस्ट्रीकरण तब तक ही वैध बना रहेगा जब तक संबंधित व्यवसायी या वृत्तिक का रजिस्ट्रीकरण प्रयोज्य संबंधित राज्य विधि और/या ऐसे रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाली केंद्रीय विधि के अधीन वैध और विद्यमान बना रहता है।

25. वृत्तिक अनुज्ञप्तियों और अर्हताओं के लिए विशेष उपबंध ।–

(1) अनुसूची **VII** का भाग ग किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त वृत्ति या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य वृत्ति के अभ्यास के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों और/या फर्मों को विधि के बल वाले किसी संबंधित निकाय और/या केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी वृत्तिक अनुज्ञप्तियों, रजिस्ट्रीकरणों, प्रमाण पत्रों, और अर्हताओं पर लागू होता है।

(2) जहां अनुसूची **VII** के भाग ग के अधीन वैध मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकरण रखने वाला कोई वृत्तिक राज्य में कोई वृत्तिक फर्म, परामर्श, स्थापन, कार्यालय, या प्रैक्टिस स्थापित या संचालित करता है, वहां यह उपबंध ऐसे स्थापन को दोहरे राज्य–स्तरीय वृत्तिक सत्यापन, अतिरिक्त वृत्तिक अनुज्ञप्ति अपेक्षाओं, या विधि के बल वाले संबंधित निकाय और/या केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी द्वारा पहले ही सत्यापित और रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं के पुनर्सत्यापन से छूट प्रदान करने के लिए प्रभावी होगा।

(3) जिस स्थापन, निकाय, फर्म, कंपनी, भागीदारी, एकल स्वामित्व, या अन्य संगठन के माध्यम से ऐसा वृत्तिक सेवाएं प्रदान करता है, वह इस अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट निबंधनों, शर्तों, बाध्यताओं, छूटों, लाभों, और नियामक अपेक्षाओं के अधीन होगा।

26. तृतीय–पक्ष परामर्श का सूचीकरण (Empanelment)।–जहां वैधानिक अनुमोदनों, प्रमाणीकरणों, निरीक्षणों, अनापत्तियों, या अनुपालनों को सुकर बनाने में लगा कोई वृत्तिक, परामर्शदाता, परामर्श फर्म, तकनीकी अभिकरण, या अन्य सेवा प्रदाता, जिसमें भवन योजना अनुमोदन, अग्नि सुरक्षा प्रमाणीकरण, प्रदूषण जोखिम वर्गीकरण मानदंड, अनुमोदन शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं, भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से सूचीबद्ध, प्रत्यायित, मान्यताप्राप्त किया गया है, वहां ऐसा वृत्तिक, परामर्शदाता, परामर्श फर्म, तकनीकी अभिकरण, या सेवा प्रदाता, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा निरर्हित किए जाने को छोड़कर, राज्य में तत्संगत प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध समझा जाएगा।

परंतु ऐसा मानित सूचीकरण राज्य सरकार, किसी सक्षम प्राधिकारी, या किसी लोक निकाय पर ऐसे मानित सूचीबद्ध वृत्तिक, परामर्शदाता, परामर्श फर्म, तकनीकी अभिकरण, या सेवा प्रदाता की सेवाओं का अनन्य रूप से उपयोग, नियोजन, नियुक्ति, या उन पर निर्भर रहने का कोई दायित्व सृजित करने वाला नहीं समझा जाएगा। राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी अन्य वृत्तिकों, परामर्शदाताओं, परामर्श फर्मों, तकनीकी अभिकरणों, या सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध, मान्यताप्राप्त, प्रत्यायित, प्राधिकृत, या नियोजित करना जारी रख सकेंगे, और ऐसा सूचीकरण इस उपधारा के अधीन प्रदत्त मानित सूचीकरण के साथ सहविद्यमान रहेगा।

परंतु यह और कि कार्यकारिणी समिति को इस उपधारा के अधीन प्रदत्त किसी मानित सूचीकरण की समय–समय पर समीक्षा करने की शक्ति होगी और यह समाधान हो जाने पर कि संबंधित वृत्तिक, परामर्शदाता, परामर्श फर्म, तकनीकी अभिकरण, या सेवा प्रदाता अब विहित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता, भारत के किसी

भाग में निलंबित, अपवर्जित (debarred), काली–सूचीबद्ध, या प्रतिकूल नियामक कार्रवाई के अधीन किया गया है, या वृत्तिक कदाचार, उपेक्षा, कपट, दुर्व्यपदेशन, या सूचीकरण के लिए अनुपयुक्त बनाने वाले किसी अन्य आचरण का संदेह किया गया है, नियम्य सूचीकरण को निलंबित, प्रतिबंधित, प्रतिसंहृत कर सकेगी, या उस पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह समुचित समझे।

अध्याय XI

एकल अनुज्ञप्ति अनुपालन ढांचा

27. बहु अनुमोदन और अनुज्ञप्तियां ।–

(1) अनुमोदन प्रदान करते समय, सक्षम प्राधिकारी किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से प्रदत्त अनुमोदन पर विचार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जानकारी, प्रलेखी, अनुमोदन, या प्रक्रियाओं का कोई दोहराव न हो जो किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं या पहले ही उसे प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(2) सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का प्रयास करेगा। विशेष रूप से, उन्हें अपनी अधिकारिता में भूमि, भवन, आवास, कारखाना, दुकानों, वाणिज्यिक परिसरों, बहुमंजिला भवनों आदि के संबंध में समयबद्ध रीति से तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुमोदन/अनुज्ञा प्रदान करना अपेक्षित होगा;

(3) जहां कोई उद्यम अनुसूची **VII** के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वैध रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, अनुमोदन, या अनापत्ति रखता है, वहां ऐसा मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकरण, अनुसूची **VII** के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुसूची **VII** के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट गतिविधियों, स्थापनों, और नियामक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा।

(4) कोई सक्षम प्राधिकारी किसी वैध मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकरण रखने वाले उद्यम को अनुसूची **VII** द्वारा आच्छादित कोई अतिरिक्त अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, अनुमोदन, निरीक्षण, सत्यापन, या दस्तावेज प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करेगा, या तत्संबंधी कोई फीस उद्ग्रहीत नहीं करेगा, सिवाय इस अधिनियम या अनुसूची **VII** में यथा उपबंधित हो।

(5) इस धारा के अधीन लाभ तब समाप्त हो जाएगा जब मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाता है, निलंबित या रद्द कर दिया जाता है, या जब उद्यम अनुसूची **VII** में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना बंद कर देता है या अपनी गतिविधियों की प्रकृति में तात्त्विक परिवर्तन करता है।

(6) इस धारा की प्रयोज्यता के संबंध में कोई विवाद उद्यम द्वारा जिला सशक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका विनिश्चय, इस अधिनियम के तहत अपील के अधीन रहते हुए, बाध्यकारी होगा।

(7) कार्यकारिणी समिति, अधिसूचना द्वारा, मान्यताप्राप्त रजिस्ट्रीकरणों, तत्संगत छूटों, गतिविधियों, शर्तों, या रक्षोपायों को जोड़कर, उपांतरित करके, या विलोपित करके अनुसूची **VII** का संशोधन कर सकेगी।

अध्याय XII

निरीक्षणों के विषय में

28. निरीक्षणों के विषय में ।–

(1) सैद्धांतिक अनुमोदन के प्रमाणपत्र की वैधता के दौरान निरीक्षण केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा, अर्थात्–

क. विधि के उल्लंघन, लोक सुरक्षा के लिए खतरा, पर्यावरणीय क्षति, या लोक हानि के अभिकथन वाली गंभीर प्रकृति की शिकायत की प्राप्ति पर;

ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित या राज्य सरकार द्वारा यथाविहित किए जाने वाली जोखिम–आधारित चयन प्रणाली के माध्यम से;

ग. इस अधिनियम के अनुसार यादृच्छिक (randomised) और संगणकीकृत डिजिटल निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई निरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक लिखित में कारण अभिलिखित न किए जाएं और उद्यम को कम से कम अड़तालीस कार्य घंटे पूर्व सूचित न किया जाए;

परंतु जीवन, लोक सुरक्षा, या पर्यावरण के लिए आसन्न खतरे को रोकने के लिए तत्काल निरीक्षण आवश्यक होने पर पूर्व सूचना का अभिमुक्त किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपवर्जित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उद्यम प्रयोज्य विधि के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षणों के अधीन हो सकेंगे; परंतु ऐसे निरीक्षण, यथासाध्य, पूर्व–नियोजित और यथासंभव समन्वित होंगे।

(4) यादृच्छिक और संगणकीकृत डिजिटल निरीक्षण, अनुपालन सत्यापन के प्रयोजन के लिए, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान वैध सैद्धांतिक अनुमोदन का प्रमाणपत्र रखने वाले उद्यमों के पांच प्रतिशत से अनधिक भाग के लिए, प्रयोज्य विधि के अधीन प्राधिकृत किया जा सकेगा, और यथासाध्य, एकल भ्रमण के दौरान बहु विभागों के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तथा उद्यम को 72 कार्य घंटे की पूर्व सूचना दी जाएगी।

(5) निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण के पूर्ण होने के चौबीस कार्य घंटों के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और संबंधित उद्यम को उपलब्ध कराए जाएंगे।

29. जहां किसी निरीक्षण पर यह पाया जाता है किः –

(क) किसी उद्यम ने आवेदन में असत्य और कपटपूर्ण सूचना प्रस्तुत की है; या

(ख) किसी उद्यम ने प्रचलित नियमों और विनियमों के उल्लंघन में निर्माण, विध्वंस और/या परिवर्तन किया है; या

(ग) किसी उद्यम ने न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया है;

वहां जिला सशक्त समिति निम्नलिखित के लिए सक्षम होगी –

i. अनुमोदन को आदितः (ab initio) प्रतिसंहृत करना, तथा स्वामी की लागत पर उक्त अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करना; या

ii. तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा खतरा यथा अधिरोपित ऐसी शास्ति के स्वामी द्वारा भुगतान के अधीन रहते हुए उक्त उल्लंघनों को नियमित करना; या

iii. उद्यम को प्रयोज्य विधियों और नियमों के अनुरूप बनाने के लिए यथा निदेशित परिसर या भवन में आवश्यक परिवर्तन करने की अनुज्ञा देना।

अध्याय XIII
औद्योगिक क्षेत्रों के विषय में

30. विकास नियंत्रण विनियमों को शिथिल करने की शक्ति।–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना, मास्टर प्लान, विकास योजना, या वैधानिक लिखत में विपरीत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण किसी अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में ऐसे विकास नियंत्रण विनियमों को शिथिल कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित औद्योगिक उद्यमों के लिए विकास नियंत्रण विनियमों को शिथिल करने हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

31. भूखंड के उपयोग में शिथिलीकरण ।–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना, मास्टर प्लान, विकास योजना, या वैधानिक लिखत में विपरीत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार, नीति, नियमों, विनियमों या यथा विहित किसी ऐसी फीस जो प्राधिकार द्वारा विहित किया जाय, के भुगतान के अधीन हो, प्राधिकरण द्वारा विहित की

जाने वाली भूखंडों के विसंयोजन (de-merger) या विलय (merger) की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) आवंटी (allottee) परिसर के उस भाग का, जो अधिसूचित किया जाए का उपयोग, प्रचार गतिविधियों के लिए भूमि का प्रयोग करने हेतु उपयोग कर सकेगा।

32. भूखंडों का विक्रय, उप–पट्टा, और/या पुनर्समनुदेशन (Reassignment) ।–

(1) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्राधिकार द्वारा विहित दीर्घकालिक पट्टे का उपबंध उद्यम के अनुरोध पर कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 35 की तुष्टि पर कोई उद्यम भूखंड, या उसके किसी भाग को, प्राधिकार द्वारा विहित की जा सकने वाली फीस के भुगतान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त विधि की शक्ति वाले नियम, विनियम, उपविधियों, या अधिसूचना के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण को सूचना देकर, किसी अन्य निकाय को (पूर्णतः या अंशतः) विक्रय, उप–पट्टे, विलय, विसंयोजन, या पुनर्समनुदेशित कर सकेगा।

(3) कोई उद्यम, अवैध और सट्टेबाजी लाभ की ओर ले जाने वाले किसी आशय या डिजाइन के बिना, आवंटित भूखंड, या उस पर स्थापित उद्यम को, राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जा सकने वाली ऐसी शर्तों और रक्षोपायों के अधीन, अपने किसी संबद्ध, सहायक कंपनी, या संयुक्त उद्यम भागीदार को विधिपूर्वक अंतरित कर सकेगा, और ऐसा अंतरण नए सिरे से (**de novo**) अनुमोदन अपेक्षित करने वाला नया आवंटन गठित करता हुआ नहीं समझा जाएगा।

(4) राज्य सरकार पूर्ण स्वामित्व (**freehold**) भूमि में परिवर्तन से अवैध और सट्टेबाजी आगमों को प्राप्त करने के आशय या डिजाइन वाली किसी गतिविधि के लिए नियम और शास्तियां विहित करेगी।

33. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर औद्योगिक इकाइयों द्वारा संसाधनों का साझीकरण।–औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर की इकाईयों के लिए, इकाईयों का एक समूह, आपस में तथा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के साथ, श्रमिकों की सुविधाओं, श्रमिकों के कल्याण, अग्नि सुरक्षा, बहिःस्राव उपचार संयंत्रों (effluent treatment plants), और अन्य पर्यावरणीय बाध्यताओं जैसी कतिपय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु, या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का साझीकरण कर सकेगा।

34. निकास प्रावधान आदि के विषय में।–

(1) जहां कोई उद्यम अभिप्रेत उद्यम को प्रारंभ करने में असमर्थ है, वहां उद्यम के लिए, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार द्वारा या किसी प्रचलित अधिनियम, नियम, नीति, या अधिसूचना के अधीन यथा विहित, इसे किसी नए व्यवसाय में बदलना विधिपूर्ण होगा।

(2) जहां कोई उद्यम अपना प्रचालन प्रारंभ करने या जारी रखने में असमर्थ या अनिच्छुक है, वहां उद्यम के लिए भूखंड या उसके किसी भाग को औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण को अभ्यर्पित (surrender) करना तथा जो यथा विहित किया जाए ऐसी वापसी (refund) का दावा करना विधिपूर्ण होगा।

35. पूर्णस्वामित्व (Freehold) परिवर्तन आदि के विषय में।–

(1) उद्यम के अनुरोध पर, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार उद्यम के साथ भूमि के पूर्णस्वामित्व परिवर्तन की अनुज्ञा, विहित की जा सकने वाली राशि के भुगतान पर, इस शर्त के अधीन देगा कि MSME इकाई न्यूनतम दस वर्ष की अवधि तक सतत रूप से प्रचालनरत एवं क्रियाशील रही होय और कोई अन्य उद्यम न्यूनतम पंद्रह वर्ष की अवधि तक सतत रूप से प्रचालनरत एवं क्रियाशील रहा हो।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का संशोधन कर सकेगी या लोकहित में आवश्यक समझी जाने वाली पूर्णस्वामित्व परिवर्तन के लिए ऐसी अन्य शर्तें विहित कर सकेगी।

अध्याय XIV

अधिस्थगन (Moratorium) की अवधि के पश्चात् निरीक्षणों के विषय में

36. अनुमोदन के स्थगन की समाप्ति के पश्चात्।–निरीक्षण पर यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि उद्यम नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कर सकेगाः

i. अनुमोदन को प्रतिसंहृत करना तथा स्वामी की लागत पर उक्त अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करना; या

ii. तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार जिला सशक्त समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति के स्वामी द्वारा भुगतान के अधीन रहते हुए उक्त उल्लंघनों को नियमित करना; या

iii. उद्यम को प्रयोज्य विधियों और नियमों के अनुरूप बनाने के लिए निदेशित किये जा सकने वाले परिसर या भवन में आवश्यक परिवर्तन करने की अनुज्ञा देना।

अध्याय XV

स्वतः चालित अपील प्रणाली (Auto Appeal System)

37. स्वतःचालित अपील प्रणाली।–

(1) राज्य सरकार अपीलों के लिए एक डिजिटल स्वचालित उन्नयन (escalation) प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करेगी, तथा प्रक्रिया और नियमों को विहित कर सकेगी।

(2) EoDB परिषद इस अधिनियम के अधीन विभिन्न अपील या परिवाद निवारण उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन स्थापित अपीलों की डिजिटल स्वचालित उन्नयन प्रणाली के साथ एकीकरण सुनिश्चित करेगी।

(3) अपील या पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उद्यम की सहमति मूल परिवाद प्रस्तुत करते समय उपधारित (presumed) की जाएगी।

(4) डिजिटल स्वचालित उन्नयन प्रणाली द्वारा अग्रेषित प्रत्येक अपील सम्यक् रूप से अभिलिखित की जाएगी और एकल खिड़की प्रणाली पर एक पृथक उपबंध के माध्यम से सुलभ बनाई जाएगी, और ऐसी शिकायतों के प्रबंधन में, अपील के लिए विशिष्ट पहचान संख्या, रजिस्ट्रीकरण तारीख, नियत समय–सीमा, व्यतीत समय, और संबंधित पक्षों को सूचित करने की क्रियाविधि जैसे विवरण उस उपबंध में प्रदर्शित किए जा सकेंगे।

(5) कार्यकारिणी समिति इस अधिनियम के अधीन अपीलों की डिजिटल स्वचालित उन्नयन प्रणाली के सृजन, विनियमन, कार्यकरण, और अनुश्रवण के संबंध में विनियम बना सकेगी।

अध्याय XVI

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

38. अभिभावी प्रभाव ।–

(1) इस अधिनियम में विपरीत अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी किसी विधि के आभासतः प्रभावी किसी लिखत में इसके असंगत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभिभावी प्रभाव होगा।

(2) बिहार राज्य की विधियों या विनियमों के ऐसे कोई भी उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या विरोधाभासी हैं, या तो बिहार राज्य के भीतर प्रचलन समाप्त हो जायेगा या इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं की सीमा तक संशोधित समझा जायेगा;

39. निरसन और व्यावृत्तियां (Repeal and Savings):

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से, अनुसूची **VI** में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां तथा तदधीन बनाए गए नियम, विनियम, और अधिसूचनाएं निरसित हो जाएंगी।

(2) अनुसूची **VI** में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, यह निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगाः –

i. ऐसे निरसित अधिनियमितियों के अधीन पहले ही अर्जित या उपगत किसी अधिकार, बाध्यता, या दायित्व को; या

ii. इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, अनुसूची **VI** में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन अंतिम रूप से निपटाए गए, संपन्न, या अनुपालित किए गए किसी कार्य, कार्यवाही, अनुमोदन, या अन्य मामले को, जो केवल इस अधिनियम द्वारा प्रभावित निरसन के कारण, पुनः नहीं खोला या अविधिमान्य नहीं किया जाएगा; या

iii. इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, अनुसूची **VI** में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन किसी न्यायालय, अधिकरण, या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी कार्य, कार्यवाही, आवेदन, या अन्य विधिक कार्यवाही को, जो इस प्रकार जारी रहेगी और पूर्ववर्ती विधि के अधीन ऐसे निपटाई जाएगी मानो अनुसूची **VI** में निर्दिष्ट अधिनियमिति निरसित न की गई हो; और

iv. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद प्रत्येक आवेदन, अनुमोदन, अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण, या अनुरोध अनन्य रूप से इस अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों, और अनुसूचियों द्वारा शासित होगा।

(3) बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन अधिनियम, 2016 के निरसन से निरसित अधिनियमिति के अधीन किए गए या जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, निदेश, अनुदेश, अनुमोदन, मंजूरी, प्राधिकार, प्रत्यायोजन, नियुक्ति, या अन्य लिखत की वैधता, प्रचालन, या सातत्य प्रभावित नहीं होगी, और ऐसा प्रत्येक लिखत, जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा और इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया या जारी किया गया समझा जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित, उपांतरित, संशोधित, अध्यारोहित (superseded), या रद्द नहीं कर दिया जाता।

40. इकाईयों पर अनुपालन भार को हटाने, घटाने की शक्ति।—यदि EoDB परिषद के ध्यान में यह आता है कि अनुसूची **VI** में उल्लिखित न होने वाली किसी विशेष अधिनियमिति के अधीन कोई विशेष अनुपालन भार इकाईयों पर आरोपित है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है, तो परिषद् राज्य सरकार को यह आदेश देने की संस्तुति करेगी कि ऐसा अनुपालन भार प्रवर्तनीय होना बंद हो जाएगा।

41. प्रत्यायोजन की शक्ति।—राज्य सरकार अधिनियम में उल्लिखित अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को EoDB परिषद, कार्यकारिणी समिति, सचिवालय, जिला सशक्त समिति या औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

42. नियम और नीति बनाने की शक्ति ।—

(1) राज्य सरकार या इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई निकाय, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, विनियम बना सकेगा;

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान—मंडल के समक्ष, जब भी वह सत्र में हो, रखे जाएंगे।

43. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न होने वाले आदेश द्वारा, उसे स्पष्ट या दूर कर सकेगी।

इस अधिनियम के अनुदित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी विसंगति की स्थिति में अँग्रेजी संस्करण बाध्यकारी और मान्य होगा।

44. निदेश जारी करने की शक्ति।—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से संबंधित मामलों में EoDB परिषद, कार्यकारिणी समिति, जिला सशक्त समिति या राज्य के किसी विभाग, प्राधिकरण, बोर्ड, या निगम को कोई निदेश जारी कर सकेगी।

45. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।—सरकार के या EoDB परिषद, कार्यकारिणी समिति, सचिवालय, जिला सशक्त समिति, या किसी सक्षम प्राधिकार के किसी पदाधिकारी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता को सुकर बनाने के लिए सद्भावपूर्वक की गई या सद्भावपूर्वक किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अनुसूची I
सक्षम प्राधिकारी

1. सभी राजस्व पदाधिकारी, यथा प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता (Collectors), अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, तहसीलदार
2. सचिव तथा सभी पदाधिकारी,ग्रामीण विकास विभाग
3. सचिव तथा सभी पदाधिकारी,पंचायती राज विभाग
4. सचिव तथा सभी पदाधिकारी,नगर विकास विभाग
5. सचिव तथा सभी पदाधिकारी,वन एवं पर्यावरण विभाग
6. सचिव तथा सभी पदाधिकारी, खनन एवं भूविज्ञान विभाग
7. अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारी,राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. नगर निगम/नगरपालिका के आयुक्त या CEO तथा सभी पदाधिकारी
9. स्थानीय जिला परिषदों के CEO तथा सभी पदाधिकारी
10. मुख्य वास्तुविद्, नगर निगम या क्षेत्र विकास प्राधिकरण
11. निदेशक, अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार
12. श्रमायुक्त तथा श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारी, बिहार सरकार
13. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, बिहार सरकार
14. सचिव तथा उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी, बिहार सरकार
15. प्रबंध निदेशक, राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिहार सरकार
16. राज्य विद्युत कंपनियां (विद्युत वितरण/पारेषण कंपनियां), बिहार सरकार
17. बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी सहित कोई अन्य प्राधिकारी, पदाधिकारी या अन्य कोई पदनाम जिन्हें उस समय लागू किसी कानून के तहत किसी उद्यम की स्थापना, संचालन, विस्तार या बंद करने से जुड़ी किसी भी मंजूरी को प्राप्त करने, संसाधित करने, जांच करने, जांचने, देने, जारी करने, नवीनीकृत करने, संशोधित करने, निलंबित करने, रद्द करने या अन्यथा उस पर कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

अनुसूची II
नकारात्मक सूची

(स्तंभ 2 में उल्लिखित गतिविधियां स्तंभ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में करने की अनुज्ञा नहीं होगी)

विद्यमान भूमि उपयोग मंडल		वैसी गतिविधियाँ जिनकी अनुमति नहीं है
मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाली भूमि		
1.	आवासीय मंडल	क. नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार) ख. अंत्योष्टि गृह/ शवगृह/ दफन/ दाह–संस्कार भूमि (नामित क्षेत्रों को छोड़कर) ग. एकीकृत भाड़ा परिसर (थोक दुकानें एवं सरसद केंद्र), ट्रक टर्मिनल, भंडारण डिपो, कंटेनर यार्ड, गोदाम, भारी वाहनों (HMV) के लिए सेवा/मरम्मत सुविधाएं, कार्यशालाएं और गैरेज (भारी वाहन केंद्रित), शीत भंडारण (बृहत स्तर)
2.	वाणिज्यक मंडल	क. नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार) ख. संक्रामक या संकट पूर्ण जैविक कारकों को संभालने वाली अनुसंधान प्रयोगशालाएं। ग. दाह–संस्कार भूमि और दफन भूमि
3.	यातायात एवं परिवहन	नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार) सिवाय परिवहन डिपों, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ड्राई पोर्ट, बस/ट्रक शेल्टर, ऑटोमोबाइल कार्यशाला के कार और अन्य ऑटोमोबाइल पार्किंग जिसमें बहु–स्तरीय पार्किंग तथा भंडारण/गोदाम, दुकानें, सीवेज पंपिंग स्टेशन, जल कार्य, अग्निशमन केंद्र, टेलीफोन एकसचेंज, ईंधन भने वाले स्टेशन और सेवा केंद्रों, घरेलू खाना पकाने की गैस सिलिंडरों के भंडारण जैसे लोक उपयागिता भवनों के अनुषंगिक उपयोग शामिल हैं
4.	औद्योगिक उपयोग	कोई नकारात्मक सूची नहीं होगी। औद्योगिक क्षेत्र अपने स्वयं के मानदंडों द्वारा शासित होंगे।
5.	लोक/अर्ध–लोक संस्थागत (PSP)	क. नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार) ख. पशु–आधारित वाणिज्यिक उपयोगः मुर्गी पालन फर्म, डेयरी फार्म, दाह–संस्कार/दफन भूमि (जब तक लोक उपयोगिता के लिए सीमांकित न हो)। ग. एकीकृत भाड़ा परिसर/ट्रक टर्मिनल, वेईब्रिज/LMV एवं HMV के लिए कार्यशालाएं और गैरेज/मरम्मत यार्ड, स्क्रैप यार्ड, जंक यार्ड, भारी माल बाजार तथा थोक मंड/कृषि मंडियां
6.	कृषि, मनोरंजन तथा संबद्ध उयोग	नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार)।
7.	जल निकाय उयोग	कियोस्क, कैफेटेरिया, शौचालय इकाईयों या किसी भसी अन्य लोक उपयोगिता को छोड़कर सभी स्थायी संरचनाएं।
8.	प्रतिबंधित उपयोग	संबंधित प्राधिकारियों (रक्षा, वन, वन्यजीव रिजर्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या केंद्रीय विधियों द्वा शासित अन्य संगठनों) से समुचित पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी उद्यम अनज्ञात नहीं है
मास्टर प्लान के बाहर की भूमि		
1.	विशुद्ध आवासीय	क. नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार)। ख. अंत्येष्टि गृह/शवगृह/दफन/दाह–संस्कार भूमि (नामित क्षेत्रों को छोड़कर)

2.	विशुद्ध वाणिज्यिक	क. नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार)। ख. संक्रमक या संकटपूर्ण जैविक काराकें को संभालने वाली अनुसंधान प्रयोगशालाएं। ग. दाह–संस्कार भूमि और दफन भूमि
3.	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र	कोई नकारात्मक सूची नहीं होगी। औद्योगिक क्षेत्र अपने स्वयं के मानदंडों द्वारा शासित होंगे
4.	कृषि क्षेत्र	नारंगी और लाल श्रेणी के उद्योग (बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्गीकृत अनुसार)।
5.	जल निकाय	कियोस्क, कैफेटेरिया, शौचालय इकाइयों या किसी अन्य लोक उपयोगिता को छोड़कर सभी स्थायी संरचनाएं
6.	प्रतिबंधित उपयोग	संबंधित प्राधिकारियों (रक्षा, वन वन्यजीव रिजर्व, भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण या केंद्रीय विधियों द्वारा द्वारा शासित अन्य संगठनों) से समुचित पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी उद्यम अनुज्ञात नहीं है

अनुसूची III

वे गतिविधियां जिनके लिए किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन अपेक्षित नहीं है

क्र सं.	गतिविधि	अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई	अधिकतम अनुज्ञेय भू–आच्छादन	अधिकतम अनुज्ञेय FAR	अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्र	CTO/CTE	भवन योजना	अग्नि अनापत्ति
1	आवासीय गृह, बहु–मंज़िला आवासीय गृहों सहित	24 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी. तक	तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
2	मॉल, वाणिज्यिक दुकानें एवं स्थापन	24 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी. तक	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
3	श्वेत सूची के कारखाने एवं उद्योग, चाहे औद्योगिक क्षेत्र/मास्टर प्लान के अंदर हों या बाहर	15 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी. तक	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
4	विद्यालय/ विश्वविद्यालय एवं ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थागत भवन	9 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी. तक	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
5	खेल/मनोरंजन सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, स्टेडियम	9 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी.	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
6	अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशालाएं, नैदानिक केंद्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की अन्य सुविधाएं	15 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी. तक	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
7	उपरोक्त श्रेणियों में न आने वाला कोई अन्य भवन उपयोग	15 मीटर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	5,000 वर्ग मी. तक	स्व–प्रमाणीकरण /तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण	स्व–प्रमाणीकरण / तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण

अनुसूची IV

वे गतिविधियां जिनके लिए अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन अपेक्षित है

क्र. सं.	गतिविधि	अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई	अधिकतम अनुज्ञेय भू–आच्छादन	अधिकतम अनुज्ञेय FAR	अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्र
1	मास्टर प्लान के अंदर या बाहर 24 मीटर से ऊपर के बहु–मंज़िला आवासीय गृह	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
2	24 मीटर से ऊपर के मॉल, वाणिज्यिक दुकानें एवं स्थापन	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
3	श्वेत श्रेणी में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र/मास्टर प्लान के अंदर हों या बाहर, 15 मीटर से ऊपर के कारखाने एवं उद्योग	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
4	हरित, नारंगी और लाल श्रेणियों में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र/मास्टर प्लान के अंदर हों या बाहर, कारखाने एवं उद्योग	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
5	मास्टर प्लान के अंदर या बाहर 9 मीटर से ऊपर के विद्यालय/विश्वविद्यालय एवं ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थागत भवन	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
6	मास्टर प्लान के अंदर या बाहर 15 मीटर से ऊपर के अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशालाएं, नैदानिक केंद्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रा की अन्य सुविधाएं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
7	कोई अन्य भवन उपयोग	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं

अनुसूची V

उन अनापत्तियों (NOCs) की सांकेतिक सूची जिन्हें इस अनुसूची में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जा सकता है

क्र. सं.	अनापत्ति / विभाग	अपेक्षित कार्रवाई
1	अग्नि अनापत्ति (Fire NOC)	तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
2	वृक्ष कटान एवं वृक्ष पारगमन	स्व–प्रमाणीकरण
3	स्थापना हेतु सम्मति (प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड)	तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण
4	सीवेज संबंध अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
5	लोक निर्माण विभाग अनापत्ति (सड़क कटाई)	अपेक्षित नहीं
6	कारागार अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
7	नवीकरणीय उर्जा अनापत्ति (नवीकरणीय उर्जा उत्पादन व्यवसाय की स्थापना)	अपेक्षित नहीं
8	जल निकायों या नालों के निकट भूमि हेतु राजस्व विभाग अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
9	विद्युत संबंध (DISCOMS) अनापत्ति	स्व–प्रमाणीकरण
10	विद्युत आपूर्ति प्राधिकारी अनापत्ति	स्व–प्रमाणीकरण
11	यातायात साध्यता का आकलन करने वाली पुलिस (वाणिज्यिक निर्माण) अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
12	कारखाना अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
13	पुलिस (धार्मिक निर्माण) अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
14	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
15	तूफानी जल निकासी (Storm Water Drains) अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
16	एस्टेट एवं भूमि प्रबंधन अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
17	नगरपालिका निकायों द्वारा पार्किंग अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
18	जल संबंध अनापत्ति (हाइड्रॉलिक अभियंता अनापत्ति)	स्व–प्रमाणीकरण
19	कीट नियंत्रण अनापत्ति (स्थानीय नगरपालिका द्वारा)	अपेक्षित नहीं
20	बाल / मिट्टी की उत्खनन / परिवहन अनापत्ति (जिला / नगरपालिका प्रशासन द्वारा)	अपेक्षित नहीं
21	लिफ्ट अनापत्ति (विद्युत निरीक्षणालय द्वारा)	स्व–प्रमाणीकरण
22	यांत्रिाक एवं विद्युत अनापत्ति (विद्युत निरीक्षणालय द्वारा)	स्व–प्रमाणीकरण
23	आर्द्रभूमि पर विकास हेतु जिला समाहर्ता अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
24	नजूल भूमि / सुधार न्यास / शहरी सीमा अधिशेष भूमि	अपेक्षित नहीं
25	यातायात अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
26	भूजल उत्खनन अनापत्ति	स्व–प्रमाणीकरण
27	नहरों के निकट स्थलों हेतु सिंचाई विभाग अनापत्ति	अपेक्षित नहीं
28	माप–तौल अधिनियम के अधीन प्रमाणीकरण	तृतीय–पक्ष प्रमाणीकरण

अनुसूची VI:

वे अधिनियम / विनियम जो EoDB अधिनियम में उपबंधित सीमा तक संशोधित / निरसित होते हैं

(1) बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016
(2) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010
(3) बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2025

अनुसूची VII

द्विरावृत्ति अनुज्ञप्ति उन्मोचन मैट्रिक्स (Duplicate Licence Dispensation Matrix)

भाग कः खाद्य व्यवसाय प्रचालन

स्तंभ (1): मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकरण	स्तंभ (2): जिस द्विरावृत्त राज्य/स्थानीय अपेक्षा से छूट दी गई है	स्तंभ (3): शर्तें/अपवर्जन
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अधीन FSSAI रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति	स्मान खाद्य–व्यवसाय गतिविधि और परिसर के लिए कोई पृथक नगर पालिका या स्थानीय व्यापार अनुज्ञप्ति, स्वास्थ्य व्यापार अनुज्ञप्ति, भोजनालय अनुज्ञप्ति, रेस्तरां अनुज्ञप्ति, या होटल अनुज्ञप्ति नहीं।	भूमि उपयोग, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, संकेतन (signage), पार्किंग, लोक न्यूसेंस नियंत्रण तथा विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से संरक्षित किसी अन्य अपेक्षा के अधीन।

भाग खः व्यावसायिक पहचान एवं कर अनुपालन

मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकरण	छूट दी गई द्विरावृत्त अपेक्षा	शर्तें
केंद्रीय / बिहार माल एवं सेवा कर विधि के अधीन GST रजिस्ट्रीकरण	समान गैर–खाद्य वाणिज्यिक गतिविधि और परिसर के लिए कोई पृथक नगरपालिका या स्थानीय व्यापार अनुज्ञप्ति नहीं।	FSSAI रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित करने वाले खाद्य व्यवसायों पर लागू नहींय भूमि उपयोग, अग्नि सुरक्षा, भवन अनुमोदन, पर्यावरणीय अनुपालन, स्वच्छता तथा लोक सुरक्षा अपेक्षाओं के अधीन।
MSMED अधिनियम, 2006 के अधीन उद्यम रजिस्ट्रीकरण	समान उद्यम के लिए कोई पृथक राज्य या जिला MSME मान्यता, प्रमाण पत्र, या द्विरावृत्त सत्यापन नहींय जहां GST रजिस्ट्रीकरण अन्यथा अपेक्षित नहीं है, वहां समान MSME गतिविधि के लिए कोई पृथक स्थानीय व्यापार अनुज्ञप्ति नहीं।	सभी तात्त्विक क्षेत्रीय, भूमि उपयोग, अग्नि, भवन, लोक सुरक्षा एवं पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अधीन।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, मजदूरी संहिता, 2019, या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, या अनुमोदन	समान प्रयोजन के लिए कोई द्विरावृत्त श्रम–संबंधी राज्य या स्थानीय रजिस्ट्रीकरण या प्रचालन अनुज्ञा नहीं।	सभी तात्त्विक श्रम, सुरक्षा, अग्नि, भवन तथा लोक–स्वास्थ्य अपेक्षाओं के अधीन।

भाग गः वृत्तिक अनुज्ञप्तियां एवं अर्हताएं

मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकरण	छूट दी गई द्विरावृत्त अपेक्षा	शर्तें
किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी वैधानिक वृत्तिक निकाय, जिसमें CoA, ICAI, ICSI, ICMAI, बार काउंसिल, NMC, NCISM, या कार्यपालक समिति द्वारा अधिसूचित कोई अन्य ऐसा निकाय शामिल है, द्वारा जारी प्रैक्टिस का रजिस्ट्रीकरण / नामांकन / प्रमाण पत्र	समान वृत्ति के लिए कोई पृथक राज्य–स्तरीय वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन, मान्यता, या पुनर्सत्यापन नहीं।	जहां भी विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित हो, वहां स्थापन–स्तरीय भूमि उपयोग, अग्नि सुरक्षा, भवन अनुमोदन, लोक स्वास्थ्य, जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट, पर्यावरणीय एवं अन्य क्षेत्र–विशिष्ट अपेक्षाएं लागू होती रहेंगी।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनने के लिए संकल्पित है। व्यापार में सुगमता, अधिक दस्तावेजिकरण, दोहरे अनुमोदनों, अनावश्यक विलंबों और प्रक्रियाओं को कम करते हुए एक पारदर्शी, समयबद्ध और उत्तरदायी तंत्र की स्थापना, निवेश आकर्षित करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) और जीवन सुगमता (Ease of Living) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **''बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026''** के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ट है।

श्रेयसी सिंह,
भार–साधक सदस्य।

पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा ।

पटना,
दिनांक–22.07.2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 871-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in